

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरु
पीठासीन अधिकारी श्री अनिल कुमार, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता० दायरा	निर्णय तिथि
64/2020	दावा 53 RTA	29.07.2020	26-12-23

1. शकुन्तला पत्नी श्री विनय कुमार दहिया जाति जाट निवासी खासोली तहसील व जिला चूरु

—वादी—

बनाम

1. अजय पुत्र श्री मनोज कुमार जाति ब्राह्मण निवासी खासोली तहसील व जिला चूरु
2. कैलाश चन्द पुत्र श्री मालचंद जाति ब्राह्मण निवासी खासोली तहसील व जिला चूरु
3. गायत्री देवी पत्नी श्री इन्द्रचंद जाति ब्राह्मण निवासी खासोली तहसील व जिला चूरु
4. गीता पत्नी श्री मालचंद जाति ब्राह्मण निवासी खासोली तहसील व जिला चूरु
5. गोविन्द पुत्र श्री इन्द्रचंद जाति ब्राह्मण निवासी खासोली तहसील व जिला चूरु
6. पुनम पुत्री श्री इन्द्रचंद जाति ब्राह्मण निवासी खासोली तहसील व जिला चूरु
7. पवन कुमार पुत्र श्री विद्याधर जाति ब्राह्मण निवासी खासोली तहसील व जिला चूरु
8. मनिष कुमार पुत्र श्री इन्द्रचंद जाति ब्राह्मण निवासी खासोली तहसील व जिला चूरु
9. मनिषा पत्नी श्री मनोज कुमार जाति ब्राह्मण निवासी खासोली तहसील व जिला चूरु
10. शोभा देवी पत्नी श्री मनोज कुमार जाति ब्राह्मण निवासी खासोली तहसील व जिला चूरु
11. संजय कुमार पुत्र श्री विद्याधर जाति ब्राह्मण निवासी खासोली तहसील व जिला चूरु
12. संतोष पुत्री श्री मालचंद जाति ब्राह्मण निवासी खासोली तहसील व जिला चूरु
13. सुमन पुत्री श्री मालचंद जाति ब्राह्मण निवासी खासोली तहसील व जिला चूरु
14. सुरेन्द्र पुत्र श्री मालचंद जाति ब्राह्मण निवासी खासोली तहसील व जिला चूरु
15. सुरेश कुमार पुत्र श्री विद्याधर जाति ब्राह्मण निवासी खासोली तहसील व जिला चूरु
16. नवीन पुत्र विक्रम बुडानिया जाति जाट नि. खासोली तहसील व जिला चूरु
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरु (राज.)

—प्रतिवादीगण—

दावा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए.

उपस्थित — 1. अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र राहड़ वादी
2. पैरोकार राज

निर्णय

तहसीलदार चूरु की ओर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार फर्द मौका पर तैयार किया जाकर सहमति स्वरूप वादी व प्रतिवादीगण व उपस्थित ग्रामीणों के हस्ताक्षर करवाये गये। पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं की गई।



उपखण्ड अधिकारी
चूरु

तहसीलदार, चूरु की ओर से पेश विभाजन प्रस्ताव पर किसी भी पक्ष की कोई आपत्ति नहीं होने से दावा वादी स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है एवं वादगत कृषि भूमि खसरा नं. कृषि भूमि खसरा नम्बर 164 तादादी 0.4426 हैक्टेयर, रोही ग्राम खासोली तहसील व जिला चूरु में से वादी का निम्नानुसार एवं संलग्न नक्शा के अनुसार खाता विभाजन किया जाकर अलग-अलग खाते व लगान कायम करने का आदेश दिया जाता है:-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय विवरण	ख.नं.	तादादी	किस्म
1.	शकुन्तला पत्नि विनयकुमार दहिया हिस्सा- पूरा जाति-जाट निवासी खासोली खातेदार	164 मिन	0.0615	बारानी
		किता -01	0.0615	
2.	1. अजय पुत्र श्री मनोज कुमार हिस्सा-148/3811 जाति ब्राह्मण निवासी खासोली खातेदार 2. गायत्री देवी पत्नी श्री इन्द्रचंद हिस्सा कैलाश चन्द पुत्र श्री मालचंद हिस्सा-516/3811 जाति ब्राह्मण निवासी खासोली खातेदार 3. -129/3811 जाति ब्राह्मण निवासी खासोली खातेदार 4. गीता पत्नी श्री मालचंद हिस्सा-516/3811 जाति ब्राह्मण निवासी खासोली खातेदार 5. गोविन्द पुत्र श्री इन्द्रचंद हिस्सा-129/3811 जाति ब्राह्मण निवासी खासोली खातेदार 6. नवीन पुत्र विक्रम बुडानिया हिस्सा-436/3811 जाति ब्राह्मण निवासी खासोली खातेदार 7. पुनम पुत्री श्री इन्द्रचंद हिस्सा-129/3811 जाति ब्राह्मण निवासी खासोली खातेदार 8. पवन कुमार पुत्र श्री विद्याधर हिस्सा-270/3811 जाति जाट निवासी खासोली खातेदार 9. मनिष कुमार पुत्र श्री इन्द्रचंद	164 मिन	0.3811	




(Handwritten signature)

हिस्सा-129/3811 जाति ब्राह्मण निवासी खासोली खातेदार			
10. मनिषा पत्नी श्री मनोज कुमार हिस्सा-148/3811 जाति ब्राह्मण निवासी खासोली खातेदार			
11. शोभा देवी पत्नी श्री मनोज कुमार हिस्सा-148/3811 जाति ब्राह्मण निवासी खासोली खातेदार			
12. संजय कुमार पुत्र श्री विद्याधर हिस्सा-7/3811 जाति ब्राह्मण निवासी खासोली खातेदार			
13. संतोष पुत्री श्री मालचंद हिस्सा-74/3811 जाति ब्राह्मण निवासी खासोली खातेदार			
14. सुमन पुत्री श्री मालचंद हिस्सा-74/3811 जाति ब्राह्मण निवासी खासोली खातेदार			
15. सुरेन्द्र पुत्र श्री मालचंद हिस्सा-516/3811 जाति ब्राह्मण निवासी खासोली खातेदार			
16. सुरेश कुमार पुत्र श्री विद्याधर हिस्सा-442/3811 जाति ब्राह्मण निवासी खासोली खातेदार			



अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो तहसीलदार, चूरु को डिक्री व संलग्न नक्शे के अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने के निर्देश दिये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,

चूरु

उपखण्ड अधिकारी

चूरु

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6-7 जाबता दिवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-1)
अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरु

ब इजलास : अनिल कुमार आर.ए.एस.

1. शकुन्तला पत्नी श्री विनय कुमार दहिया जाति जाट निवासी खासोली तहसील व जिला चूरु

-वादी-

बनाम

1. अजय पुत्र श्री मनोज कुमार जाति ब्राह्मण निवासी खासोली तहसील व जिला चूरु
2. कैलाश चन्द पुत्र श्री मालचंद जाति ब्राह्मण निवासी खासोली तहसील व जिला चूरु
3. गायत्री देवी पत्नी श्री इन्द्रचंद जाति ब्राह्मण निवासी खासोली तहसील व जिला चूरु
4. गीता पत्नी श्री मालचंद जाति ब्राह्मण निवासी खासोली तहसील व जिला चूरु
5. गोविन्द पुत्र श्री इन्द्रचंद जाति ब्राह्मण निवासी खासोली तहसील व जिला चूरु
6. पुनम पुत्री श्री इन्द्रचंद जाति ब्राह्मण निवासी खासोली तहसील व जिला चूरु
7. पवन कुमार पुत्र श्री विद्याधर जाति ब्राह्मण निवासी खासोली तहसील व जिला चूरु
8. मनिष कुमार पुत्र श्री इन्द्रचंद जाति ब्राह्मण निवासी खासोली तहसील व जिला चूरु
9. मनिषा पत्नी श्री मनोज कुमार जाति ब्राह्मण निवासी खासोली तहसील व जिला चूरु
10. शोभा देवी पत्नी श्री मनोज कुमार जाति ब्राह्मण निवासी खासोली तहसील व जिला चूरु
11. संजय कुमार पुत्र श्री विद्याधर जाति ब्राह्मण निवासी खासोली तहसील व जिला चूरु
12. संतोष पुत्री श्री मालचंद जाति ब्राह्मण निवासी खासोली तहसील व जिला चूरु
13. सुमन पुत्री श्री मालचंद जाति ब्राह्मण निवासी खासोली तहसील व जिला चूरु
14. सुरेन्द्र पुत्र श्री मालचंद जाति ब्राह्मण निवासी खासोली तहसील व जिला चूरु
15. सुरेश कुमार पुत्र श्री विद्याधर जाति ब्राह्मण निवासी खासोली तहसील व जिला चूरु
16. नवीन पुत्र विक्रम बुडानिया जाति जाट नि. खासोली तहसील व जिला चूरु
17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरु (राज.)


-प्रतिवादीगण-

दावा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए.

मुकदमा नं. 64 सन् 2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रुबरु हमारे हाजरी श्री सुरेन्द्र राहड़ एडवोकेट वादी, मिनजानिब मुदईब एवं पैरोकार राज मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:-

तहसीलदार, चूरु की ओर से पेश विभाजन प्रस्ताव पर किसी भी पक्ष की कोई आपत्ति नहीं होने से दावा वादी स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है एवं वादगत कृषि भूमि खसरा नं. कृषि भूमि खसरा नम्बर 164 तादादी 0.4426


उपखण्ड अधिकारी
चूरु



हैक्टेयर, रोही ग्राम खासोली तहसील व जिला चूरु में से वादी का निम्नानुसार एवं संलग्न नक्शा के अनुसार खाता विभाजन किया जाकर अलग-अलग खाते व लगान कायम करने का आदेश दिया जाता है:-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय विवरण	ख.नं.	तादादी	किस्म
1.	शकुन्तला पत्नि विनयकुमार दहिया हिस्सा- पूरा जाति-जाट निवासी खासोली खातेदार	164 मिन	0.0615 है.	बारानी
		किता -01	0.0615 है.	
2.	<ol style="list-style-type: none"> 1. अजय पुत्र श्री मनोज कुमार हिस्सा-148/3811 जाति ब्राह्मण निवासी खासोली खातेदार 2. कैलाश चन्द पुत्र श्री मालचंद हिस्सा-516/3811 जाति ब्राह्मण निवासी खासोली खातेदार 3. गायत्री देवी पत्नी श्री इन्द्रचंद हिस्सा-129/3811 जाति ब्राह्मण निवासी खासोली खातेदार 4. गीता पत्नी श्री मालचंद हिस्सा-516/3811 जाति ब्राह्मण निवासी खासोली खातेदार 5. गोविन्द पुत्र श्री इन्द्रचंद हिस्सा-129/3811 जाति ब्राह्मण निवासी खासोली खातेदार 6. नवीन पुत्र विक्रम बुडानिया हिस्सा-436/3811 जाति ब्राह्मण निवासी खासोली खातेदार 7. पुनम पुत्री श्री इन्द्रचंद हिस्सा-129/3811 जाति ब्राह्मण निवासी खासोली खातेदार 8. पवन कुमार पुत्र श्री विद्याधर हिस्सा-270/3811 जाति जाट निवासी खासोली खातेदार 9. मनिष कुमार पुत्र श्री इन्द्रचंद हिस्सा-129/3811 जाति ब्राह्मण निवासी खासोली खातेदार 10. मनिषा पत्नी श्री मनोज कुमार 	164 मिन	0.3811 है.	




हिस्सा-148/3811 जाति ब्राह्मण निवासी खासोली खातेदार			
11. शोभा देवी पत्नी श्री मनोज कुमार हिस्सा-148/3811 जाति ब्राह्मण निवासी खासोली खातेदार			
12. संजय कुमार पुत्र श्री विद्याधर हिस्सा-7/3811 जाति ब्राह्मण निवासी खासोली खातेदार			
13. संतोष पुत्री श्री मालचंद हिस्सा-74/3811 जाति ब्राह्मण निवासी खासोली खातेदार			
14. सुमन पुत्री श्री मालचंद हिस्सा-74/3811 जाति ब्राह्मण निवासी खासोली खातेदार			
15. सुरेन्द्र पुत्र श्री मालचंद हिस्सा-516/3811 जाति ब्राह्मण निवासी खासोली खातेदार			
16. सुरेश कुमार पुत्र श्री विद्याधर हिस्सा-442/3811 जाति ब्राह्मण निवासी खासोली खातेदार			
	कुल किता 01	0.3811 है.	



तहसीलदार, चूरु को डिक्री व संलग्न नक्शे के अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने के निर्देश दिये जाते हैं।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 26 माह दिसम्बर सन् 2023 को जारी की गई।


 (अनिल कुमार)
 उपखण्ड अधिकारी,
 चूरु
 उपखण्ड अधिकारी
 चूरु